न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 67/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

छीतर पिता मोहन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 24 वर्ष पेशा काश्त निवासी जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

...............प्रार्थी

विरूद्व

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. चीमाराम पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी जावरांकलां तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
3. प्रभू पुत्र अमरा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी जावरांकलां तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
4. बरदा, रतना, तुलछा पिता देवा भील जाति भील उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी नीम का खेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
5. कालू पिता काशी भील जाति भील उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी सणीता तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
6. भंवरा पिता देवी भील जाति भील उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी नीम का खेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री भूपेन्द्र पुरोहित।**

दिनांकः– 11.05.2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा नीम का खेड़ा प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 31 पुरानी 29 खंसरा सं. 20 कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 है0 लगानी 2.16 रूपये के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 20 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के सहखातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का नाम डिलिट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने एकतरफा बहस की गई। प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 01 से 06 नाम डिलिट का स्वीकार किया गया। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा नीम का खेड़ा प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 31 पुरानी 29 खंसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

20 कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 है0 लगानी 2.16 रूपये के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner